

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.10.2022

पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.10.2022 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 649/22 धारा 302/498A/504/506 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर पंजीकृत कराया गया था विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में 306/498A/504/506 भादवि का होना पाया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा द्वारा मु0अ0सं0 649/22 धारा 306/498A/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त (मृतका के पति) प्रमोद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 गिरजाशंकर निवासी असरफपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.10.2022 को मृतका ने अपने ससुराल में फांसी लगा लिया था जिसके संबंध में मृतका के पिता द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रमोद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 गिरजाशंकर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी असरफपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 649/22 धारा 306/498A/504/506 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय थाना गुलरिहा गोरखपुर
2. का0 मिथलेश कुमार थाना गुलरिहा गोरखपुर
3. का0 राहुल कुमार थाना गुलरिहा गोरखपुर
4. का0 प्रदीप कुमार थाना गुलरिहा गोरखपुर